

(1)

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल जिला शहडोल (म0प्र0)

क्रमांक / 63/ सी.जे.एम. / 2026

शहडोल दिनांक 30.09.2026

/// विविध आदेश ///

मैं राजेन्द्र सिंह सिंगार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल (म0प्र0), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 एवं 13 तथा म0प्र0, दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **जिला शहडोल म0प्र0** के लिए निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगणों की **माह अक्टूबर-नवम्बर 2026** की ड्यूटी सुनिश्चित करता हूं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे :-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	अक्टूबर-2026	नवम्बर-2026
मुख्यालय-शहडोल			
1.	श्री सीता शरण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	02, 03, 04	निरंक
2.	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	निरंक	09, 10, 11, 24
3.	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	25	06, 07, 08
4.	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	10, 11	21, 22
5.	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	17, 18, 19	01
6.	श्रीमती अभिसारिका मांडुने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	20, 21	15, 19

(2)

तहसील-जयसिंहनगर			
7.	सुश्री श्रद्धा पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0	10, 11, 25	01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 29
8.	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0	02, 03, 04, 17, 18, 19, 20, 21	21, 22, 24
तहसील-ब्यौहारी			
9.	श्री नान सिंह ताहेड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	02, 03, 04	15, 24, 29
10	श्री अविनेश चौबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	10, 11, 25	01, 06, 07, 08, 09, 10, 11
11	श्री ओमप्रकाश परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	17, 18, 19, 20, 21	21, 22
तहसील-बुढार			
12	श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढार जिला शहडोल म0प्र0	20, 21, 25	22, 24, 29
13	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढार जिला शहडोल म0प्र0	11, 17, 18, 19	01, 06, 15, 21
14	श्री लक्ष्मण रोहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढार जिला शहडोल म0प्र0	02, 03, 04, 10	07, 08, 09, 10, 11

नोट:-

(1)- सुश्री मीमांसा दुबे, प्रशिक्षु न्यायाधीश शहडोल म0प्र0, मुख्यालय शहडोल में उल्लेखित माहों के समस्त रिमांड ड्यूटी के समय उपस्थित रहेगी।

(2)- यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए

(3)

मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3)– उक्त अवकाश के अतिरिक्त यदि किसी शासकीय अवकाश/अन्य दिवस पर कोई अवकाश आकस्मिक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे:–

क	माह	न्यायाधीशगण का नाम
1	अक्टूबर–नवम्बर 2026	श्रीमती नूतन रावते, जेएमएफसी शहडोल म0प्र0
		सुश्री श्रद्धा पाण्डेय, जेएमएफसी जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0
		श्री ओमप्रकाश परमार, जेएमएफसी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0
		सुश्री दिव्या रामटेके, जेएमएफसी बुढार जिला शहडोल म0प्र0

(4)– पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी, तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश जारी नहीं होगा।

(5)– यदि कोई पीठासीन अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल म0प्र0 को देनी होगी, इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगा।

(6)– यदि न्यायिक पीठासीन अधिकारी रिमांड ड्यूटी अवधि में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड ड्यूटी करने परिवर्तित कर सहमति एवं स्वीकृति लेते हैं, तब इस स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित करने वाले पीठासीन अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी रिमाण्ड ड्यूटी के दिन मौजूद रहेंगे।

(7)– आरक्षी केन्द्र जैतपुर थाना के अंतर्गत माह अक्टूबर–नवम्बर 2026 की तारीख 01 से 15 तक के अंतर्गत आने वाले अकार्य दिवस/सार्वजनिक अवकाश/शासकीय अवकाश में रिमाण्ड कार्य तहसील न्यायालय बुढार जिला शहडोल में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगी होगी,

(4)

उनके द्वारा रिमाण्ड कार्य संपादित की जावेगी।

(8)– पुलिस अधीक्षक शहडोल को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि अभियुक्त/गण के रिमाण्ड हेतु समय पर दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य हेतु आवश्यक रूप से उन्हें न्यायालय में उपस्थित रखे, विलंब से उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा।


(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शहडोल(म0प्र0)

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शहडोल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शहडोल/जयसिंहनगर/ब्यौहारी/बुढार/जैतपुर की ओर प्रेषित।
- 3- सुश्री मीमांसा दुबे, प्रशिक्षु न्यायाधीश शहडोल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
- 5- जेल अधीक्षक, जिला जेल शहडोल की ओर सूचनार्थ।
- 6- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, शहडोल को इस निर्देश के साथ कि प्रेषित की जावे कि वह दूरसंचार के माध्यम से उक्त आदेश को प्रसारित करें।
- 7- जिला नाजिर, शहडोल की ओर इस निर्देश के साथ अग्रेषित कि वे रिमाण्ड ड्यूटी के समय मेन गेट एवं न्यायालय कक्ष खुलवायें।


(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शहडोल(म0प्र0)